A09

संख्या–998/IV(2)-श0वि0–2015–22(सा0)14

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड शासन।

शहरी विकास अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 18 अगस्त 2015

विषय : वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य में अवस्थित नगर निकायों में पार्कों की स्थापना/सौन्दर्यीकरण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि मा0 मंत्रिमण्डल के निर्णय क्रमशः दिनांक 22.02.2014 एवं दिनांक 13.06.2014 **"प्रत्येक स्थानीय निकाय में एक–एक पार्क की स्थापना/ सौन्दर्यीकरण किया जाय"** के क्रम में विभिन्न नगर निकायों द्वारा प्रस्तुत पार्क निर्माण/सौन्दर्यीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव/आगणन के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मंत्रिमण्डल के आदेशों के अनुपालन में संलग्नक–1 में उल्लिखित विवरणानुसार 10 नगर निकायों को पार्क निर्माण/सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु टी0ए0सी0, वित्त विभाग की संस्तुति के क्रम में कुल **₹ 98.46 लाख (रूपये अठ्ठानवे लाख छियालीस हजार मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की जा रही है :–

1. उक्त धनराशि **₹ 98.46 लाख (रूपये अठ्ठानवे लाख छियालीस हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार सम्बन्धित नगर निकायों को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
2. **उक्त समस्त नगर निकायों में पार्कों का निर्माण जनपद के जिलाधिकारी के नियंत्रण/मार्गदर्शन में किया जायेगा।**
3. कुमांयू मण्डल के नगर निकायों में पार्कों का नाम **"श्री खुशीराम पार्क"** तथा गढ़वाल मण्डल के नगर निकायों में पार्कों का नाम **"श्री जयानन्द भारती पार्क"** रखा जायेगा।
4. ऐसे नगर निकाय, जहां मास्टर प्लान लागू कर दिया गया है, में पार्क निर्माण कार्य मास्टर प्लान के अनुरूप पार्क निर्माण हेतु निर्धारित स्थान में ही किया जायेगा।
5. **नगर निकायों द्वारा पार्क निर्माण के उपरान्त पार्कों के अनुरक्षण एवं देख–रेख हेतु पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।**
6. कार्यों को प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा तथा इस लागत में कोई वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
7. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
8. सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें।
9. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित निकाय के तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
10. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
11. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

..2/-....

12. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।
13. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।
14. **प्रति नगर निकाय ,स्वीकृत की जा रही धनराशि के अतिरिक्त शेष लागत का वहन नगर निकायों द्वारा विधायक निधि/सांसद निधि अथवा स्वयं के स्रोतों से किया जायेगा।**
15. धनराशि का दिनांक 31–12–2016 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13 के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–18–नगरपालिकाओं में पार्क की स्थापना–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जाएगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0–298/XXVII(1)/2015, दिनांक 13.08.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

5– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(2)/2012, दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी–S..150813e.gq.) के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

सं0–998 (1)/IV(2)-श0वि0–2015, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारियों को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्माण कार्य अपने नियंत्रण/मार्गदर्शन में कराने का कष्ट करें।
5. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
8. अधिशासी अधिकारी, सम्बन्धित नगर निकाय।
9. वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(डी0एम0एस0 राणा)
उप सचिव।

संलग्नक–1

शासनादेश संख्याः 992/IV(2)-श0वि0–2015–22(सा0)14, दिनांक 18 अगस्त, 2015 का संलग्नक।

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	नगर निकाय का नाम	टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि			स्वीकृत धनराशि
		निर्माण कार्यों हेतु संस्तुत	अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार क्रय हेतु संस्तुत	TAC द्वारा संस्तुत कुल धनराशि (3+4)	
1	2	3	4	5	6
1.	नगरपालिका परिषद, धारचूला	12.62	0.31	12.93	10.00
2.	नगरपालिका परिषद, चम्पावत	11.21	0	11.21	10.00
3.	नगरपालिका परिषद, दुगड्डा	9.97	0.25	10.22	10.00
4.	नगरपालिका परिषद, नरेन्द्रनगर	7.83	3.10	10.93	10.00
5.	नगरपालिका परिषद, मुनिकीरेती	6.07	3.66	9.73	9.73
6.	नगर पंचायत, पोखरी	5.28	4.72	10.00	10.00
7.	नगर पंचायत, पुरोला	11.92	0	11.92	10.00
8.	नगर पंचायत, महुवाखेड़ागंज	9.42	0	9.42	9.42
9.	नगर पंचायत, सुल्तानपुर	10.00	0	10.00	10.00
10.	नगर पंचायत, दिनेशपुर	9.31	0	9.31	9.31
योग–		**93.63**	**12.04**	**105.67**	**98.46**

(रूपये अठ्ठानवे लाख छियालीस हजार मात्र)

(डी0एम0एस0 राणा)
उप सचिव।